पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–16.11.2023

दिनांक 14/15.11.2023 को रात्रि थाना गुडम्बा 01, पारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना माल–दिनांक 15.11.2023 को एस0आई0 श्री जय बहादुर राय थाना माल द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01. जावेद पुत्र अहमद अली 02.सूरज पुत्र श्रीपाल 03.मो0 अनिश पुत्र स्व0 छोटक्के समस्त निवासीगण ऊंचाखेड़ा मजरा नवीपनाह थाना माल जनपद लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान ऊंचाखेड़ा पुरानी आरा मशीन के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड़ 2200/–रूपये व जामातलाशी में 600/–रूपये नगद बरामद कर थाना माल पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–दिनांक 16.11.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री अभिषेक खन्ना निवासी–114बी ब्लॉक पार्क इन्फिनिया अपार्टमेंट एल्डिको उद्यान –2 थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी के घर में दीवार में खाली जगह में लकडी की आलमारी है। आलमारी के हैंडिल पल्ले से टूटा हुआ है। अतः वादी की माती जी ने घर के नौकर देशराज हालपता–शीतल खेड़ा रायबरेली रोड मूलपता–तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर से दिनांक 06 नवम्बर ,2023 को उस हैंडिल को बदलने के लिए कहा । देशराज ने जब हैंडिल बदलने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो उसमें लगा ताला टूट गया। इसके बाद देशराज ने अंदर वाले दरवाजे पर लगा हुआ हैंडिल भी टूटे होने के कारण बदल दिया । अंदर वाले दरवाजे के भीतर बने हुए खानों में ही एक नीली रंग का बैग रखा हुआ था जिसमें वादी के घर के चांदी के कीमती जेवरात रखे हुये थे। आलमारी का ताला टूट जाने के कारण वादी की माताजी ने देशराज से कहा कि आलमारी का ताला बदलवा दो तो देशराज ने उसके लिए एक बढई को बुलवाकर बनवाने की बात कही। दिनांक 09.11.2023 को देशराज ने एक रामकिशन नामक बढई को बुलाकर आलमारी दिखायी। रामकिशन ने अगले दिन आकर ताला बदलने की बात कही और फिर दिनांक 10.11.2023 को राम किशन ने आकर ताला बदला परन्तु गलती से उसने बगल वाली आलमारी का ताला जो सही था उसे ही बदल दिया। उसके जाने के बाद जब यह गलती दिखी तो देशराज ने स्वंय ही उस आलमारी का ताला बदल दिया, जिसमें बैग रखा था। दिनांक 11.11.2023 को जब वादी का भाई अपने परिवार सहित घर आया तो उसकी पत्नी ने आलमारी खोली तो देखा तो उसमें से नीली बैग गायब था। घर में अन्य जगहों पर तलाशने के बाद जब बैग नहीं मिला तो यह आशंका हुयी कि संभवतः उक्त बैग चोरी हो गया है। दिनांक 12.12.2023 को देशराज से बैग के बारे में वादी व उसके घरवालों ने पूछताछ किया पर उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। वादी ने अपने नौकर देशराज से कहा कि यदि उससे कोई गलती हुयी तो बता दे वह लोग कुछ नहीं बोलेंगें। इसके बाद भी अगले 02 दिन तक देशराज ने कुछ नहीं बताया। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0769/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग बाईस्तवाह अभियुक्त 01–देशराज 02–राम किशन बढई के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना हसनगंज—दिनांक 16.11.2023 को थाना हसनगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनुराम मिश्रा पुत्र श्री बनवारी मिश्रा निवासी—म0नं0 503/161 बरौलिया डालीगंज, थाना हसनगंज लखनऊ ने थाना हसनगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 14.11.2023 को रात्रि को वादी व उसके परिवारीजन खाना खाकर सो गये और गलती से दरवाजा बन्द करना भूल गये और रात्रि में बगल के छत के रास्ते कुछ अज्ञात चोर वादी के घर में घुसकर आलमारी में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात, नगद रूपये व एक अदद मोबाइल फोन को चोरी कर ले गये। सुबह में करीब 03.30 बजे जब वादी की पत्नी जगी तो घर में चोरी होने की जानकारी हुयी। **इस सूचना पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 162/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**